



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा से

पत्रांक - SSA/RTE/1147

दिनांक - 06/06/22

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

GODAWARI DEVI RAMCHANDRA PRASAD SARASWATI VIDYA MANDIR

WARD NO. 02, PURANI BAZAR, NARKATIAGANJ WEST CHAMPARAN BIHAR

विषय - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 12 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 23-09-2021 और उसके क्रम में आपके किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय प्रिसदस्वीय समिति के बैठक दिनांक 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय GODAWARI DEVI RAMCHANDRA PRASAD SARASWATI VIDYA MANDIR, WARD NO. 02, PURANI BAZAR, NARKATIAGANJ WEST CHAMPARAN BIHAR, NARKATIAGANJ, 845455 की कक्षा 1 से 8 तक स्थापित हेतु तीन वर्षों 0 से 23-9-2024 अर्थात् के लिए औपचारिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसवीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उल्लेख बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अला से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की चिरन्तन अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान अर्थात् त्वरणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से विष्कांतित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का विवरण करेगा।
 - (viii) शिक्षक निर्जी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में सतप्र नहीं होंगे।
8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं के अनुयायिक रूप से छात्रों का सम्बन्ध करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 6480sqm डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 6480sqm डिसमिल

(iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- drinking water, play ground, cycle & bick stand, toilet, fire cylinder, CCTV, ELECTRICITY MACHINE

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 27

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-अभ्यार कक्ष :- 2

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 15 , Girls 15

(vii) पेयजल की सुविधा :- 50

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(ix) बाधारहित पहुँच :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- GREEN BOARD-36 BUSTER - 50 COMPUTER - 36 HINDI CHART -10 ENGLISH CHART - 10 MAP - 10 GLOB - 01 MATHS SET -01 PROJECTOR - 01 , FOOTBALL- 08 VOLLEY BALL - 08 CRICKET BAT- 15 RACKET - 15 HOCKEY STICK - 40 HOCKY BALL - 20 CRICKET BALL -15 DISCUSS THROUGH - 04 SPIKING - 25 CARDM BOARD - 04 VOLLEY BALL NET - 02 BADMINTON - 10 BADMINTON - 01 , (Y , 998 , NewsPaper MagaZine :- 300)

11. कोई भी अपरवीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संवाचित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 (1986 का 21) के अन्तर्गत निश्चित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संवाचित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के लक्ष्य अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संवाचित नहीं होगा।


15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अंतर्गत में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आर्गनाइज्ड प्रोपर्टी क्रीड संख्या [20310172021923145140, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रमाण करने में इस क्रोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय परीय किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रोपर्टी क्रीड की शर्तों के त्वात्तर रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संवाचन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अर्द्धों का अनुवाचन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य बातें


विश्वासभाजन
हो।-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार